आदेश पत्रक
न्यायालयः उपजिलाधिकारी
मण्डलः आगरा,जनपदः फिरोजाबाद,तहसीलः सिरसागंज
वाद संख्या :- 01380 / 2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्याः- T201901260501380
अतुल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धाराः- 80, अधिनियमः- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006
न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्र० श्रे०) / उपजिलाअधिकारी, सिरसागंज

वाद संख्या- 07 / T201901260501380 — मौजा न० बल्ल

अतुल कुमार — बनाम — उत्तर प्रदेश सरकार

धारा-80 राजस्व संहिता -2006

(निर्णय)

आवेदक डा० अतुल कुमार पुत्र श्री आनन्द माधव निवासी मो० शम्भू नगर, शिकोहाबाद, तहसील शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कहा है, कि मौजा न० बल्ल की खतौनी खाता संख्या 1422 ख के गाटा संख्या 352 रकवा 0.2540 है० व गाटा संख्या 353 रकवा 0.4440 है० मा०गु० परता रेट रू० पूर्ण भाग को कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन में आने से नियम 85 के अन्तर्गत धारा-80 के तहत आवादी घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर नायव तहसीलदार सिरसागंज से जॉच करायी गयी।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र की नायब तहसीलदार, सिरसागंज द्वारा जॉच कर अपनी आख्या दिनांकित 27.05.2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मय नजरी नक्सा के न्यायालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम न० बल्ल के खाता संख्या 1422 ख के गाटा संख्या 352 रकवा 0.2540 है० व गाटा संख्या 353 रकवा 0.4440 है० मा०गु० 06.29 रू०, 11.95 रू० पूर्ण भाग पर स्वामी शिवानन्द आनन्द चैरिटेवल ट्रस्ट, शिकोहावाद द्वारा मुख्य ट्रस्टी डा० अतुल कुमार पुत्र श्री आनन्द माधव निवासी शम्भू नगर, शिकोहाबाद संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मृत्स्य पालन नहीं हो रहा है। भूमि सड़क के किनारे स्थित है उक्त भूमि पर नीव व भवन वना है। कृषि कार्य के प्रयोग में नही आ रही है। गाटा संख्या 352 रकवा 0.2540 है० मा०गु० 06.29 रू० व गाटा संख्या 353 रकवा 0.4440 है० मा०गु० 11. 95 रू० पूर्ण भाग को गैर कृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। नायब तहसीलदार सिरसागंज ने अपनी आख्या दिनांक 25.07.2019 में अवगत कराया है कि गाटा संख्या 352,353 किसी सरकारी परियोजना में प्रस्तावित नहीं है। ग्राम न० बल्ल स्थित गाटा संख्या-352, 353 की जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित दर 3200000/- रू० प्रति है० से मालियत 2459000/- रू० होती है। जिसका एक प्रतिशत 245900/- रू० तथा न्यायालय शुल्क 24590/- रू० को सरकारी कोष में जमा करने के उपरान्त उक्त भूमि को कृषि कार्य से भिन्न अकृषिक भूमि को नियम 85 के अन्तर्गत धारा-80 के अन्तर्गत लगान मुक्त कर आवादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैने वादीगण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, सिरसागंज की आख्या से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा इस भूमि को व्यवसायिक क उपयोग में लाया जा रहा है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मृत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी, आदि के उपयोग में नहीं आ रही है। उपरोक्त ग्राम की जिलाधिकारी फिरोजाबाद

सचिव
स्वामी शिवानन्द आनन्द चैरिटेबल ट्रस्ट
851,शम्भूनगर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरसागंज (फिरोजाबाद)

आदेश पत्रक

न्यायालयः उपजिलाधिकारी

मण्डलः आगरा,जनपदः फिरोजाबाद,तहसीलः सिरसागंज

वाद संख्या :- 01380/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या:- T201901260501380

अतुल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियमः- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006

द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 3200000/- रू0 प्रति हेक्टेयर से मालियत 2459000/- रू0 होती है। जिसका 24590/- रू0 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(5) के अनुसार इस धारा के अन्तर्गत घोषणा करने के लिए उद्घोषणा शुल्क 24590/- रू0 तथा न्यायालय शुल्क 24590/- रू0 पृथक-पृथक लेखाशीर्षक में जमा कोष कराये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त धनराशि जमा कराये जाने हेतु आवेदिका को नोटिस जारी किया गया था। जिसके अनुपालन में आवेदक द्वारा उद्घोषणा शुल्क 24590/- रू0 चालान न0 F371977 दिनांक 03.06.2019 तथा न्यायालय शुल्क 24590/- रू0 चालान न0 F372081 दिनांक 03.06.2019 को बैंक में जमा कर एक चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी है। अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा-80 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम न0 बल्ल स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1422 (ख) के गाटा संख्या 352 रकवा 0.2540 है0 मा0 गु0 06.29 रू0 व गाटा संख्या 353 रकवा 0.4440 है0 मा0 गु0 11.95 रू0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता न्यायोचित प्रतीत होता है।

(आदेश)

नायब तहसीलदार की आख्या दिनाक-26.07.2019 के आधार पर मौजा न0 बल्ल स्थित सिरसागंज के खाता संख्या 1422 (ख) के गाटा संख्या 352 रकवा 0.2540 है0 मा0 गु0 06.29 रू0 व गाटा संख्या 353 रकवा 0.4440 है0 मा0 गु0 11.95 रू0 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 के अन्तर्गत कृषि कार्य से इतर, लगानमुक्त कर अकृषिक घोषित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सिरसागंज/उपनिबन्धक शिकोहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है। नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित करें। वादी को निर्देशित किया जाता है, कि नियमानुसार विकास प्राधिकरण से नक्सा पास करने के उपरान्त निर्माण करायें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सिरसागंज (फिरोजाबाद)

दिनांक:- 27.07.2019

(रामहर्ष मौर्य)

सहायक कलेक्टर

(प्र0श्रे0)/उपजिलाधिकारी, सिरसागंज

जनपद- फिरोजाबाद